कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

Phone. No. 07868-241282, Fax. No. 07868-241482 E-Mail Id- zp-kanker.cg@nic.in

क्रमांक /3532 /जि.पं./डीपीआरसी/2018-19 कांकेर, दिनांक 30 /05/2018

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

कार्यालय जिला पंचायत संसाधन केन्द्र, नांदनमारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर में जिला/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को राज्य द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर अनुसार आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जनप्रतिनिधियों को भोजन/नाश्ता/चाय व्यवस्था हेतु **जनपद पंचायत कांकेर अंतर्गत शहरी/ग्रामीण स्थानीय स्व सहायता समूहों** से निर्धारित नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 15/06/2018 शाम 3.00 बजे तक आवेदन इस कार्यालय में सीधे जमा कर अथवा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से जमा किये जा सकते हैं तथा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15/06/2018 शाम 2.00 बजे तक है एवं निविदा खोलने की तिथि 15/06/2018 समय 4.00 बजे निर्धारित की गई है।

निविदा की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्ते कार्यालय जिला पंचायत कांकेर, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र नांदनमारा कांकेर के सूचना पटल, जिला एवं जिला पंचायत की वेबसाईट **www.kanker.gov.in/ www.zpkanker.gov.in** पर देखी जा सकती है।

29.5.18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पचांयत
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक /3533 /जि.पं./डीपीआरसी/2018-19 कांकेर, दिनांक 30 /05/2018

प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
02. प्राचार्य, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र नांदनमारा कांकेर को सूचनार्थ।
03. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ। कृपया समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
04. जिल सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को जिले की वेबसाईट में विज्ञप्ति अपलोड़ कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पचांयत
उत्तर बस्तर कांकेर

Scanned by CamScanner

निविदा की नियम एवं शर्तें :-

01. प्रतिदिन प्रशिक्षणर्थियों की उपस्थिति अनुसार शुद्व शाकाहरी भोजन एवं नाश्ता गुणवत्तायुक्त होना चाहिए।
02. प्रदाय किये जाने वाले भोजन का मीनू निर्धारित सारणी अनुसार होना चाहिए।
03. निविदा की निर्धारित प्रपत्र जिला पंचायत कांकेर के कक्ष क्रमांक-08 से नगद राशि 500.00रू. जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
04. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को कार्यालयीन समय शाम 3.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा।
05. निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष के लिए होगी।
06. निविदा 02 लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक मे समस्त प्रमाण पत्र (प्रपत्र-अ) सुरक्षानिधि एवं दूसरे में (प्रपत्र-ब एवं स) निविदा दर संबंधी प्रपत्र होने चाहिए।
07. निविदा के साथ राशि 10000.00रू. (दस हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि के रूप में करना होगा। जो कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के नाम पर देय होगा ।
08. निविदाकर्ता को संस्था कैम्पस में ही किचन उपलब्ध कराया जायेगा। जहां पानी एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
09. भोजन निर्माण हेतु भोजन चुल्हा, गैस एवं भोजन सामग्री की व्यवस्था निविदाकर्ता को करनी होगी। भोजन वितरण की व्यवस्था बफे/स्वयं सेवा होगी परन्तु भोजन के पश्चात् प्लेटों का उठवाने एवं धुलवाने की व्यवस्था निविदाकर्ता की होगी। **भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए पूर्व कैटरिंग कार्य का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जा सकती है।**
10. संलग्न मीनू मे परिवर्तन किया जा सकता है तथा सुधार हेतु निर्देश प्रदान किये जा सकते है, जो निविदाकर्ता को मान्य होगें।
11. भोजन, नाश्ता एवं चाय गुणवत्ताहीन पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त की जावेगी।
12. सामग्रियों के परिवहन अथवा अन्य किसी भी व्यय हेतु पृथक से किसी प्रकार की राशि भुगतान नही की जावेगी।
13. प्राप्त निविदाओं के आधार पर यदि आवश्यक हो तो निर्धारित शर्तों एवं प्रमाण पत्र की प्रस्तुति में छुट प्रदान की जा सकती है।
14. निविदा किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
15. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पचांयत
उत्तर बस्तर कांकेर

Scanned by CamScanner